प्रपत्रः—8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्पः— अटल सेवा केन्द्र, करना

प्रकरण सं.:— 146/2018

क्रमांकः—लो.अदा./2018/ 1358 दिनांकः— 6.6.18

आदेश

प्रार्थी की ओर से एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया कि ग्राम चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 261 रकबा 67—08 बीघा भूमि में प्रार्थी की कौम वजीर दर्ज है। जो कि गलत दायर हो रखी है, जबकि प्रार्थी की वास्तविक कौम वजीर न होकर रजपूत है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर कौम वजीर के स्थान पर रजपूत दायर किया जावें।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के आवेदन की जांच तहसीलदार सिणधरी से करवाई गई। तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थी की कौम अशुद्ध दायर होने के सम्बंध में कोई पर्याप्त सबूत एवं साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी का आवेदन निरस्त किये जाने का लिखा गया।

हमने प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन किया। जिसमें ग्राम चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 261 रकबा 67—08 बीघा भूमि प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी में दर्ज है। केवल मात्र प्रार्थी छगनसिंह द्वारा ही कौम वजीर के स्थान पर रजपूत दुरूस्त किये जाने का आवेदन पेश किया गया है, जबकि इस संबंध में प्रार्थी छगनसिंह के साथ संयुक्त सहखातेदार द्वारा कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है और न हीं सहखातेदारों को आवेदन में पक्षकार बनाया गया है। और न हीं उनकी कोई सहमति पेश की गई है। भूमिपति तहसीलदार सिणधरी द्वारा साक्ष्य सबूतो के अभाव के कारण आवेदन निरस्त करने की रिपोर्ट पेश की है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन साक्ष्य सबूतो के अभाव के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

क्रमांकः—लो.अदा./2018/ 1359— 1361 दिनांकः— 6.6.18

प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री **छगनसिंह** निवासी **चम्पा भाखरी** तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner